आदेश

शासनादेश संख्या—2104/V-2-2017-53(आ0)/2014 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय एवं जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों के ढांचे में पदो के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें अभियंत्रण अनुभाग में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, तकनीकी विशेषज्ञ (प्रोग्रामर), सुपर वाईजर (तकनीकी) के पद सृजित किये गये हैं। वर्तमान में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ताओं की तैनाती की गई है लेकिन सृजित पदो के सापेक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में विभागीय अधिशासी अभियन्ता की तैनाती न होने के कारण प्राधिकरण के कार्यों को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है।

अतः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में स्वीकृत पद के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता की तैनाती होने तक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के अधिशासी अभियन्ता के पदीय कार्यों के सम्पादनार्थ एतदद्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत की तैनाती की जाती है। अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत द्वारा अपने विभागीय कार्यों के साथ—साथ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के पदीय दायित्वों का सम्पादन किया जायेगा, जिस हेतु उन्हें पृथक से किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन—भत्ता देय नहीं होगा। अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत तत्काल प्रभाव से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत कार्यालय के अधिशासी अभियन्ता के पदीय कार्यों को सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी से भी मार्ग निर्देशन प्राप्त करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(मनीष कुमार)
उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
चम्पावत।

कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत।

संख्याः— 817 /जि.स्त.वि.प्रा./2025—2026, दिनांक— 09 जनवरी, 2026।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अध्यक्ष/आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर—1), ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. सचिव/अपर जिलाधिकारी, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत।
6. समस्त संयुक्त सचिव/उप जिलाधिकारी, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत।
7. सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत।

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
चम्पावत।